संख्या-52/2023/3537/22-2-2022-17(1422)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 फरवरी, 2023

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बली सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह, निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34619/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बली सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह, ग्राम ओडेरा, थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बन्दी ने पूर्व में जसीराम के पिता छविलाल का कत्ल कराये जाने की रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को समय लगभग 4:00 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोलियां मारकर परशुराम, आशाराम व नरपत सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-299/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/34, 148 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 23.02.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.12.2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.08.2022 तक 18 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 04 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 11.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बन्दी को समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने व स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, रिहा होने पर पुनः अपराध किये जाने की सम्भावना होने, पुन अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में रंजिश के कारण अप्रिय घटना घटित हो सकती हैं, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पूर्व ने जसीराम के पिता छविलाल का कत्ल कराये जाने की रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोलियां मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बली सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह को फार्म ए लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बली सिंह (बंदी संख्या-14741) पुत्र श्री देशराज सिंह, निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-52/2023/3537(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- सुश्री रूचिरा गोयल, ए0ओ0आर0, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली रिट पिटीशन (एस) (क्रि0) नं0 (एस)-173/2022 महेन्द्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में उनके ई-मेल पत्र दिनांक 20.02.2023 के सन्दर्भ में।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (एस) (क्रि0) नं0 (एस)-173/2022 महेन्द्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-52/2023/3537/22-2-2022-17(1422)/2022

दिनांक 22 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बली सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह, ग्राम-औडेरा, थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बली सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह, ग्राम ओडेरा, थाना-राठ, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। बन्दी ने पूर्व में जसीराम के पिता छविलाल का कत्ल कराये जाने की रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को समय लगभग 4:00 बजे 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोलियां मारकर परशुराम, आशाराम व नरपत सिंह नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-299/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/34, 148 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 23.02.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.12.2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.08.2022 तक 18 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 04 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 11.10.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बन्दी को समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने व स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, रिहा होने पर पुनः अपराध किये जाने की सम्भावना होने, पुन अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में रंजिश के कारण अप्रिय घटना घटित हो सकती हैं, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पूर्व ने जसीराम के पिता छविलाल का कत्ल कराये जाने की रंजिश में दिनांक 27.07.1980 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोलियां मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बली सिंह पुत्र श्री देशराज सिंह को फार्म ए लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in